आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	2	3

14.11.2017

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या-74/2010

(धारा 21 बि0पी0पी0एच0टी0 अधिनियम के तहत)

1. बीबी जुलेखा खातून, पति-शे0 अल्ला बख्स, सा0-कुम्हरवा, थाना-बायसी, जिला-पूर्णिया।

.....- आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार
2. शे0 जियाउर रहमान, मो0 मोईन, मो0 मुख्तार एवं मो0 अख्तर रजा, सभी के पिता-अब्दुल हकीम, सा0-ताराबाड़ी, थाना-बायसी, जिला-पूर्णिया।

.....- विपक्षी

आ दे श

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आवेदक द्वारा **अंचल अधिकारी, बायसी** के **बासगीत पर्चा वाद संख्या-38/1998-99** में पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	पर्चाधारी का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
1	शे0 जियाउर रहमान, मो0 मोईन, मो0 मुख्तार एवं मो0 अख्तर रजा, सभी के पिता-अब्दुल हकीम, सा0-ताराबाड़ी, थाना-बायसी, जिला-पूर्णिया।	पिपलगाछी	369	13	50	0.33 डीसमिल

इस वाद से संबंधित निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल कार्यालय, बायसी से प्राप्त है।

आवेदक द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका मुख्य रूप से कथन है कि दलील सं0-10832 दिनांक 03.06.1993 द्वारा प्रश्नगत खाता/खेसरा में 57 डी0 जमीन आवेदक द्वारा खरीदा गया, जिसमें से 08 डी0

जमीन अब्दुल हकीम, पिता-शे0 नसरूद्दीन, सा0-ताराबाड़ी को बेच दिया गया। शेष जमीन पर आवेदिका का दखल-कब्जा है, जिसमें खेती-बाड़ी किया जा रहा है। विपक्षी पर्चाधारी दूसरे गाँव के रहने वाले हैं तथा वे लोग जमींदार है। प्रश्नगत भूमि पर कभी भी विपक्षी पर्चाधारी का दखल नहीं रहा है। जमीन हड़पने के नियत से बासगीतपर्चा बनवा लिया गया है। इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारी द्वारा जाँच भी किया गया है, जिसमें विपक्षी का मकानमय सहन उक्त भूमि पर नहीं पाया गया। इस प्रकार विपक्षी न तो प्रश्रय प्राप्त रैयत हैं और न ही पर्चा वाली भूमि पर उनका मकानमय सहन है। अतएव माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त बासगीतपर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि विपक्षीगण भूमिहीन हैं तथा वे श्रमिक के रूप में आवेदक भू-धारी के यहां कार्य करते थे। इसी क्रम में प्रश्नगत भूमि का पर्चा अंचल कार्यालय, बायसी द्वारा विपक्षीगण को निर्गत किया गया। विपक्षीगण प्रश्रय प्राप्त रैयत हैं। अंचल कार्यालय द्वारा विधिवत स्थल जाँच कर पर्चा निर्गत किया गया है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

इस वाद में अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी के पत्रांक 1630 दिनांक 11.04.15 के द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत जमीन पर किसी पर्चाधारी का घर या मकान नहीं है। आवेदक भू-धारी के जमीन में से 08 डी0 जमीन पर्चाधारी के पिता के द्वारा भी खरीदा गया है, जिसपर पर्चाधारी के पिता का पक्का मकान बना हुआ है। शेष जमीन पर आवेदक का दखल-कब्जा है। इस संबंध में यह भी प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि पर पर्चाधारियों का कभी भी घर नहीं था। सभी पर्चाधारी, जमीनदार एवं ताराबाड़ी पंचायत, थाना बायसी के मूल निवासी हैं। साथ ही पर्चाधारी प्रश्रय प्राप्त रैयत की श्रेणी में नहीं आते हैं।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात, उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन, अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी से प्राप्त प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विपक्षीगण पर्चाधारी प्रश्रय प्राप्त रैयत की

श्रेणी में नहीं हैं तथा पर्चा वाली भूमि पर मकानमय सहन के रूप में पर्चाधारी का दखल-कब्जा पूर्व से नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा निर्गत बासगीतपर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अंचल अधिकारी, बायसी के बासगीतपर्चा वाद सं0-38/1998-99 में पारित आदेश को अपास्त करते हुए पुनिरीक्षित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, बायसी एक माह के अन्दर पुनरीक्षण आदेश निर्गत करें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।